वर्ष एक नजर में

02
अध्याय

वर्ष एक नजर में

1. भारत में कोयले के भंडार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल और अन्य योगदान एजेंसियों द्वारा उत्पन्न अनुमानों के आधार पर 01.04.2025 तक 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची तैयार की है। अद्यतन आकलन के अनुसार, भारत का कुल भूवैज्ञानिक कोयला संसाधन निर्दिष्ट गहराई सीमा के भीतर 0.90 मीटर और उससे अधिक मोटाई वाले कोयला सीम के लिए 4,00,715.45 मिलियन टन है। इसमें से, गोंडवाना कोयला क्षेत्रों का प्रमुख योगदान 3,99,020.80 मिलियन टन है, जबकि तृतीयक कोयला क्षेत्रों का योगदान 1,694.65 मिलियन टन है।

राज्यवार वितरण से संकेत मिलता है कि ओडिशा में 100,975.78 मिलियन टन के साथ सबसे अधिक कोयला संसाधन हैं, इसके बाद झारखंड (93,254.06 मिलियन टन), छत्तीसगढ़ (85,263.22 मिलियन टन), पश्चिम बंगाल (34,386.09 मिलियन टन), मध्य प्रदेश (33,563.62 मिलियन टन), तेलंगाना (23,288.62 मिलियन टन), महाराष्ट्र (13,586.70 मिलियन टन) और अन्य कोयला उत्पादक राज्य हैं।

01.04.2025 को प्रकारवार और श्रेणीवार संसाधन

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई सीमा (एम)	मापा गया (331)	संकेतित (332)	अनुमान लगाया गया (333)		कुल
			अन्वेक्षण	मानचित्राण	
गोंडवाना कोयला					
कोकिंग					
0-300	9,091.94	3,893.37	36.02	-	13,021.33
300-600	2,628.62	5,045.57	737.06	-	8,411.25
0-600	9,153.94	87.28	-	-	9,241.22
600-1200	2,603.29	2,760.96	1,334.93	-	6,699.18
0-1200	23,477.79	11,787.18	2,108.01	-	37,372.98
नॉन–कोकिंग					
0-300	1,35,427.71	52,448.96	7,809.65	-	1,95,686.32
300-600	47,398.49	62,133.03	14,303.54	-	1,23,835.06
0-600	6,075.22	66.65	29.63	-	6,171.50
600-1200	7,400.66	22,508.31	6,045.97	-	35,954.94
0-1200	1,96,302.08	1,37,156.95	28,188.79	-	3,61,647.82
तृतीयक कोयला					
उच्च सल्फर					
0-300	446.16	87.79	209.65	748.58	1,492.18
300-600	186.32	16.15	-	-	202.47
0-600	632.49	103.94	209.65	748.58	1,694.65
कुल	2,20,412.35	1,49,048.07	30,506.45	748.58	4,00,715.45

नोटः आंकड़े अनंतिम है।

01.04.2025 तक गहराई–वार और श्रेणी–वार संसाधन

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई सीमा (एम)	कोकिंग			नॉन–कोकिंग			उच्च सल्फर	महायोग
	प्रधान	मध्यम	सेमी कोकिंग	सुपीरियर (जी1–जी6)	अवर (जी7–जी17)	अनग्रेडेड		
0-300	2.21	12552.35	466.77	21659.84	166216.83	7809.65	1492.18	210199.83
0-600	4596.55	4644.67	0.00	449.38	5692.49	29.63	0.00	15412.72
300-600	0.34	7562.81	848.10	14045.01	95486.51	14303.54	202.47	132448.78
600-1200	844.31	5372.26	482.61	4174.48	25734.48	6045.98	0.00	42654.12
0-1200	5443.41	30132.09	1797.48	40328.72	293130.31	28188.79	1694.65	400715.45

राज्यवार कोयला संसाधन–

(कोयला संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापा गया (331)	संकेतित (332)	अनुमान लगाया गया (333)	संसाधन
ओडिशा	55009.74	38780.51	7185.53	100975.78
झारखंड	60290.47	27121.64	5841.95	93254.06
छत्तीसगढ़	45462.69	38340.18	1460.35	85263.22
पश्चिम बंगाल	18752.33	11424.79	4208.97	34386.09
मध्य प्रदेश	16414.28	11795.57	5353.77	33563.62
तेलंगाना	11256.78	8626.94	3404.90	23288.62
महाराष्ट्र	8338.52	3264.65	1983.53	13586.70
बिहार	2346.36	6970.42	36.66	9353.44
आंध्र प्रदेश	1024.65	2368.94	778.17	4171.76
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.80
मेघालय	96.98	16.65	469.59	583.22
असम	464.78	57.21	3.02	525.01
नागालैंड	8.76	21.83	479.62	510.21
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
अरुणाचल प्रदेश	61.96	22.74	6.00	90.70
कुल	**220412.34**	**149048.07**	**31255.04**	**400715.45**

2.0 भारत में लिग्नाइट संसाधन

01.04.2025 तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची के अनुसार, देश में लिग्नाइट भंडार लगभग 47370.54 मिलियन टन (01.04.2025 तक) अनुमानित है। प्रमुख भंडार तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं।

राज्यवार लिग्नाइट संसाधन–

(लिग्नाइट संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापा गया (331)	संकेतित (332)	अनुमान लगाया गया (333)	संसाधन
पांडिचेरी	0.00	405.61	11.00	416.61
तमिलनाडु	5476.00	21412.16	10635.49	37523.65
राजस्थान	1203.85	3183.47	2273.85	6661.17
गुजरात	1278.65	283.70	1159.70	2722.05
जम्मू और कश्मीर	0.00	20.25	7.30	27.55
केरल	0.00	0.00	9.65	9.65
पश्चिम बंगाल	0.00	1.13	2.80	3.93
ओडिशा	5.93	0.00	0.00	5.93
कुल	7964.43	25306.32	14099.79	47370.54

3. कोयला उत्पादन

2024–25 के दौरान, वास्तविक कच्चे कोयले का उत्पादन 1080.20 मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले 1047.52 मिलियन टन (एमटी) है। सीआईएल, एससीसीएल और अन्य से कोयला उत्पादन का कंपनी–वार विवरण नीचे दिया गया है:

कंपनीवार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन (एमटी) में)

कंपनी	2023–24	2024–25		उपलब्धि	वृद्धि (%)	2025–26 (दिसंबर 25 तक)			अनुमानित उत्पादन (जनवरी–मार्च' 26)
	वास्तविक वार्षिक अंकवास्तविक (%) लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि (%)	वार्षिक अंक लक्ष्य	वास्तविक	(%)		लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	
सीआईएल	773.7	838	781.06	93.18%	▲ 0.96	605.38	529.19	87.41%	346.05
एससीसीएल	70.02	72	69.01	95.84%	▲ 1.45	51.47	43.73	84.96%	28.27
कैप्टिव और अन्य	154.2	170	197.46	116.15%	▲ 28.09	143.27	148.73	103.81%	54.66
कुल	998	1080.2	1047.52	96.97%	▲ 4.98	800.12	721.65	90.19%	428.98

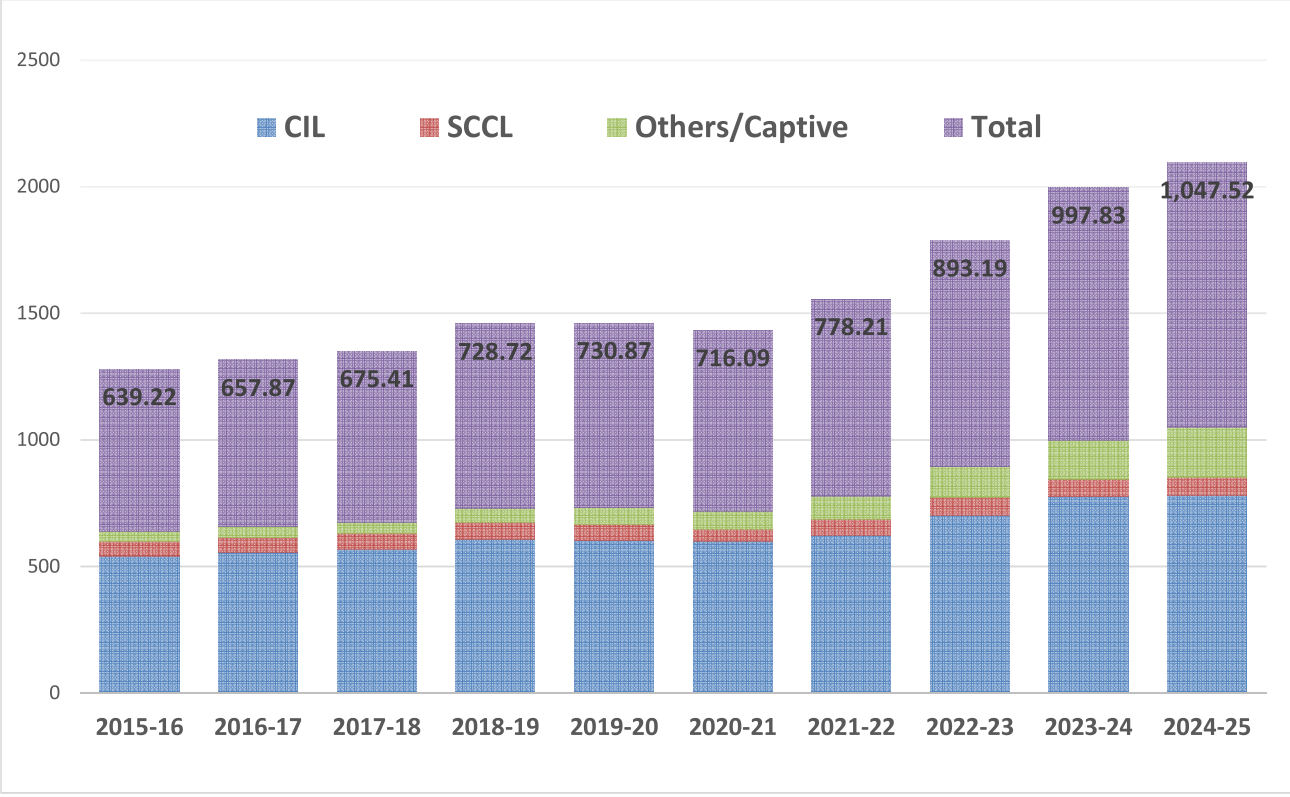

4. कोयला प्रेषण

2024–25 के दौरान, 1080.2 मीट्रिक टन के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक कच्चा कोयला 1025.33 मीट्रिक टन प्रेषित है। सीआईएल, एससीसीएल और अन्य से कोयला उत्पादन का कंपनी–वार विवरण नीचे दिया गया है:

कंपनीवार कोयला प्रेषण

(मिलियन टन (एमटी) में)

कंपनी	2023–24	2024–25		उपलब्धि	वृद्धि (%)	2025–26 (दिसंबर 25 तक)			अनुमानित उत्पादन (जनवरी–मार्च' 26)
	वास्तविक वार्षिक अंकवास्तविक (%) लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि (%)	वार्षिक अंक लक्ष्य	वास्तविक	(%)		लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	
सीआईएल	753.54	838.2	762.83	91.01%	▲ 1.23	657.57	545.74	80.46%	241.27
एससीसीएल	69.86	72	65.26	90.64%	▲ 6.58	51.47	44.17	85.81%	27.84
बंदी और अन्य	149.62	170	197.24	116.02%	▲ 31.83	143.27	152.10	106.16%	51.29
कुल	973.02	1080.2	1025.33	94.92%	▲ 5.38	852.31	742.01	84.99%	320.04

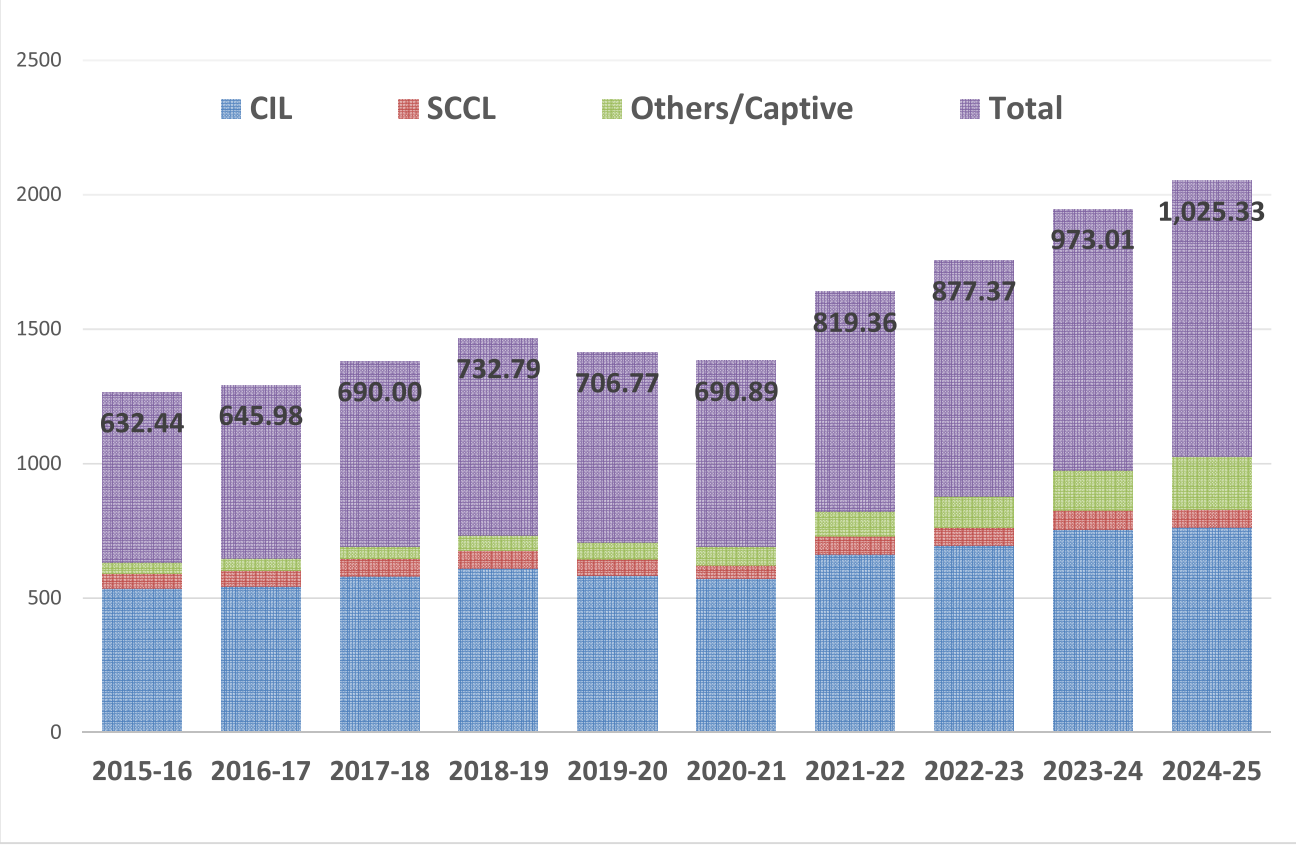

5. कंपनी–वार कच्चा कोयला प्रेषण:

(मीट्रिक टन में)

कंपनी	वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर 25 तक)			वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर 24 तक)	% वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	: आह ।	वास्तविक	
सीआईएल	678.26	545.74	80.46%	561.68	▼ 2.84
एससीसीएल	51.47	44.17	85.81%	46.18	▼ 4.35

6. क्षेत्रवार कच्चा कोयला डिस्पैच–सीआईएल (अनंतिम)

(मीट्रिक टन में)

क्षेत्र	दिसंबर तक		वृद्धि %
	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2024–25	
इस्पात	2.55	2.53	▲ 0.79
पावर एयूटिलिटी)	434.11	455.61	▼ 4.72
पावर एकैप्टिव)	43.26	40.98	▲5.56
सीमेंट	5.47	4.03	▲ 35.80
स्पंज आयरन	4.31	5.49	▼ 21.53
अन्य	56.04	53.04	▲ 5.66
सीआईएल	545.74	561.68	▼ 2.84

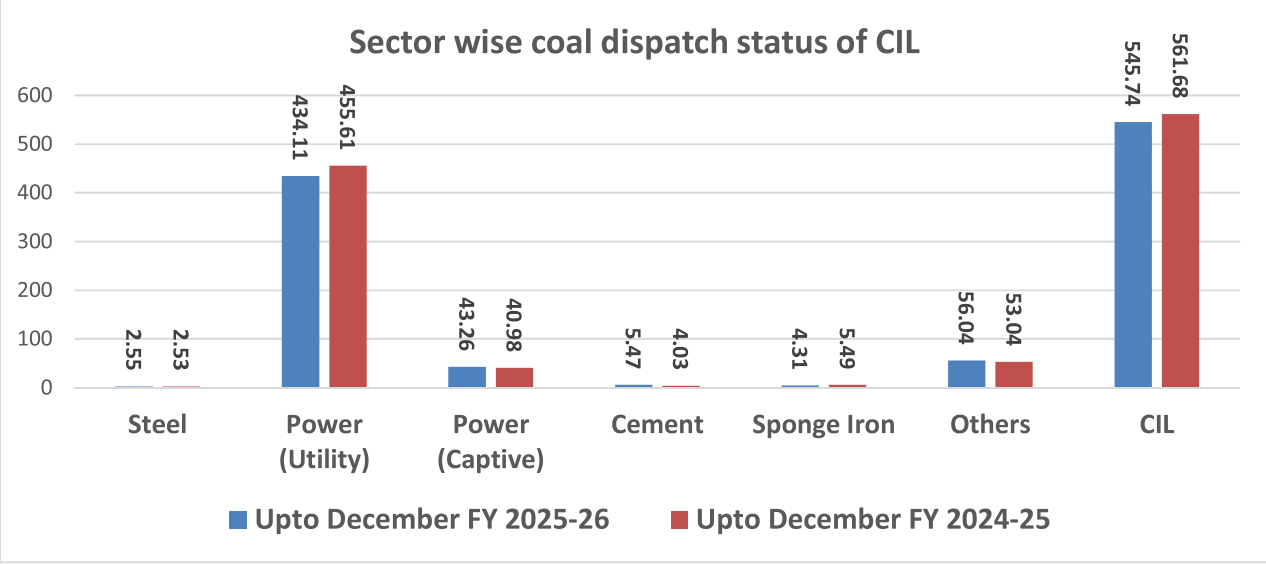

सीआईएल की क्षेत्रवार कोयला प्रेषण स्थिति

7. एससीसीएल का क्षेत्रवार प्रेषण

(मीट्रिक टन में)

क्षेत्र	दिसंबर तक		वृद्धि (%)
	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2024–25	
पावर एयूटिलिटी)	41.23	42.64	▼ 3.30
पावर एसीपीपी)	0.68	1.06	▼ 36.04
सीमेंट	0.49	0.97	▼ 49.18
स्पंज आयरन/सीडीआई	0.10	0.13	▼ 23.08
अन्य	1.67	1.38	▲ 20.80
एससीसीएल	44.17	46.18	▼ 4.35

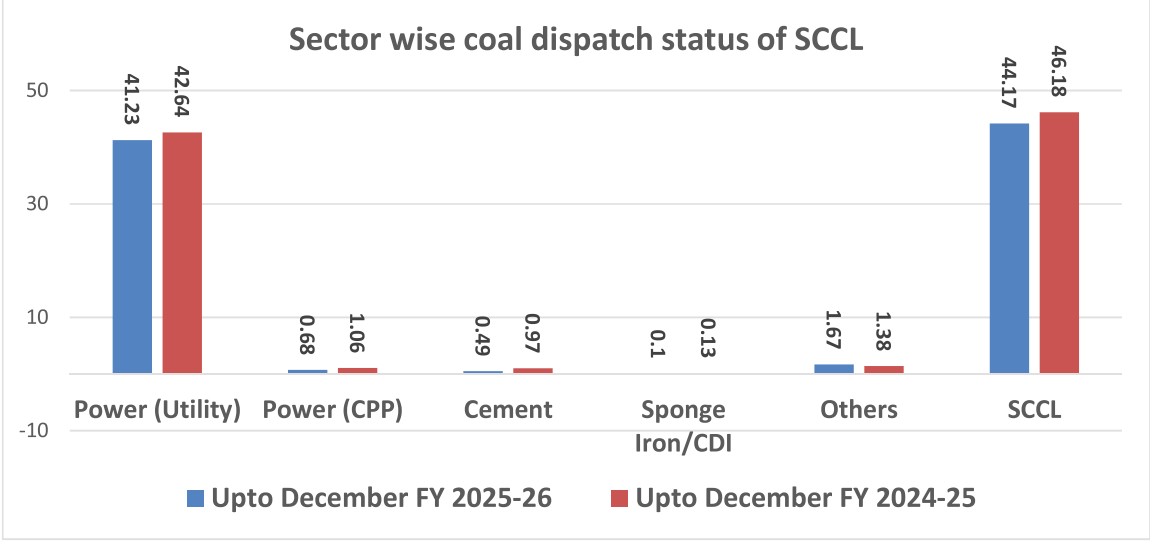

एससीसीएल की क्षेत्रवार कोयला प्रेषण स्थिति

8. लिग्नाइट उत्पादन

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2025–26 (दिसंबर 25 तक) के लिए एनएलसीआईएल और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन द: –

8.1 वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कंपनीवार लिग्नाइट उत्पादन

(मीट्रिक टन में)

कंपनियां	वित्त वर्ष 2025–26 (25 दिसंबर तक)
एनएलसी	14.45
जीएमडीसीएल	5.30
जीआईपीसीएल	1.99
आरएसएमएमएल	0.55
जीएचसीएल	0.06
वीएसएलपीपीएल	0.67
बीएलएमसीएल	4.07
जीपीसीएल	1.23
अखिल भारतीय	**28.32**

8.2 वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कंपनीवार लिग्नाइट डिस्पैच

(मीट्रिक टन में)

कंपनियां	वित्त वर्ष 2025–26 (दिसंबर 25 तक)
एनएलसी	15.81
जीएमडीसीएल	5.30
जीआईपीसीएल	1.99
आरएसएमएमएल	0.55
जीएचसीएल	0.07
वीएसएलपीपीएल	0.69
बीएलएमसीएल	4.12
जीपीसीएल	1.24
अखिल भारतीय	**29.77**

9. संशोधित शक्ति, 2025 के तहत बिजली क्षेत्र को कोयला लिंकेज

विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति (भारत में कोयला का पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन की योजना) नीति को 7 मई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस सुधार की प्रमुख विशेषता जटिल लिंकेज प्रणाली को आठ श्रेणियों से केवल दो विंडोज तक सरलीकृत करना है।

- विंडो I: केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों (जेनको) के लिए नामांकन के आधार पर अधिसूचित मूल्य पर कोयला प्रदान करती है। विंडो–I के तहत 55.2 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।
- विंडो II: निजी और आयातित कोयला आधारित संयंत्रों सहित सभी बिजली उत्पादकों को प्रीमियम पर नीलामी के माध्यम से कोयले को सुरक्षित करने की अनुमति देता है, जो 25 वर्षों तक उपलब्ध लिंकेज के साथ और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अनिवार्य आवश्यकता के बिना बहुत लचीलापन प्रदान करता है।

सीआईएल ने संशोधित शक्ति नीति की विंडो–II को लागू किया है। विंडोज–II: अल्पावधि (अर्धवार्षिक) नीलामी की पहली किश्त 27.01.2026 से शुरू होने वाली है। इसके अलावा, विंडो–II: दीर्घ/मध्यम अवधि (वार्षिक) नीलामी के तहत कोयला लिंकेज की नीलामी जल्द ही आयोजित की जाएगी।

यह नीति कोयला स्रोतों (पिटहेड परियोजनाओं) के पास नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने को भी बढ़ावा देती है, अंतिम उपभोक्ता टैरिफ को कम करने के लिए कोयला वितरण को युक्तिसंगत बनाती है, और बाजार में अधिशेष बिजली की बिक्री की अनुमति देती है, सामूहिक रूप से घरेलू कोयले के उपयोग को अधिकतम करने, आयात निर्भरता को कम करने और किफायती, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

10. कोयला सेतु विंडो

12.12.2025 को, सीसीईए ने किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का उपयोग करने के लिए गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीति, 2016 में "कोल सेतु विंडो" नामक नई विंडो का निर्माण करके निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग (कोयला सेतु) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की नीति को मंजूरी दी, जिससे कोयले के निर्यात के लिए लिंकेज को सक्षम किया जा सके। या देश में पुनर्विक्रय को छोड़कर कोई अन्य उद्देश्य (कोयला धुलाई सहित)। कोयला मंत्रालय द्वारा 19.12.2025 को कोयला सेतु विंडो पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

11. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं

कोयला मंत्रालय ने खदानों से कोयले के सड़क परिवहन को खत्म करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार किया है और 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं।

रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) और साइलो कोयला क्रशिंग, साइजिंग और त्वरित कंप्यूटर–एडेड लोडिंग जैसे लाभ प्रदान करते हैं। कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ, सटीक पूर्व–तौली गई मात्रा और कोयले की बेहतर गुणवत्ता को लोड किया जा सकता है। बेहतर लोडिंग समय से वैगन की निष्क्रियता में कमी आएगी और उनकी उपलब्धता में वृद्धि होगी। सड़क नेटवर्क पर भार कम करने से स्वच्छ पर्यावरण और डीजल पर बचत को बढ़ावा मिलता है। यह कंपनी, रेलवे और उपभोक्ताओं के लिए चौतरफा जीत की स्थिति होगी।

इसे ध्यान में रखते हुए, 2 एमटीपीए क्षमता झवाली सभी खदानों के लिए कोयले की आवाजाही का समाधान किया गया है और 1319 एमटीपीए की कुल क्षमता के साथ 92– सीआईएल, 12– एससीसीएल, 5 – एनएलसीआईएल और कैप्टिव वाणिज्यिक के लिए 27 सहित लगभग 45000 करोड़ रुपये की लागत वाली 139 एफएमसी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। वर्तमान में, 552 एमटीपीए की क्षमता वाली 65 परियोजनाएं (43–सीआईएल, 12–एससीसीएल और कैप्टिव वाणिज्यिक के लिए 10) चालू की गई हैं। शेष परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2030 तक चालू किया जाना निर्धारित है।

कुसमुण्डा एफएमसी

12. वाणिज्यिक खनन

रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों में से, नामित प्राधिकरण ने अब तक कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 139 कोयला खदानों का आवंटन किया है, जिनमें से 70 कोयला खदानें चालू हो गई हैं जबकि 60 कोयला ब्लॉक उत्पादन के अधीन हैं।

2025–26 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द/आवंटित की गई कोयला खदानों में से कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 10 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं

13. एक पेड़ मा के नामः प्लांटेशन ड्राइव

कोयला मंत्रालय द्वारा इंद्रप्रस्थ पार्क, नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया कोयला मंत्रालय ने इस पहल के माध्यम से प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण में एक व्यक्तिगत आयाम लाने की कोशिश की है, एक ऐसा कार्य जो संस्कृतियों और समुदायों में गहराई से प्रतिध्वनित होता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों और उनके द्वारा लगाए गए पौधों के बीच लंबे समय तक चलने वाला भावनात्मक बंधन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पेड़ों की निरंतर देखभाल और अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। वृक्षारोपण अभियान में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव रूपिंदर बरार ने व्यक्तिगत रूप से रोपण गतिविधि में भाग लिया, साथ ही संजीव कुमार कासी, संयुक्त सचिव आशिम कुमार मोदी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डॉ. चेतना शुक्ला, डीडीजी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी भी उपस्थित थे।

उनकी सामूहिक भागीदारी नीतिगत ढांचे से परे पर्यावरणीय कारणों को आगे बढ़ाने, प्रतिबद्धताओं को जमीन पर दृश्यमान और प्रभावशाली कार्रवाई में बदलने के लिए सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। छाया देने वाले, फूल देने वाली और फल देने वाली प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए, जिससे इंद्रप्रस्थ पार्क के शहरी परिदृश्य में एक विविध और पारिस्थितिक रूप से सहायक परत जुड़ गई।

14. श्रमदानः एक दिन एक घंटा एक साथ

स्वच्छता ही सेवा अभियान की गति को जारी रखते हुए, कोयला मंत्रालय ने 25.09.2025 को 'श्रमदान – एक दिन एक घंटा एक साथ' का आयोजन किया। अपर सचिव श्रीमती रूपिंदर बराड़ ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शास्त्री भवन और उसके आसपास के परिसर की सफाई में भाग लिया। यह अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति मंत्रालय के समर्पित और गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कोयला मंत्रालय
Ministry of Coal
भारत सरकार

Ek Din Ek Ghanta Ek Sath

under SHS 2025

Cleanliness Drive around the outside area of Shastri Bhawan

Follow us on Social Media

ministryofcoal | @ministry-of-coal-official | https://www.coal.gov.in

15. स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के दौरान 15 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

कोयला मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के दौरान एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान का आयोजन किया। इस पहल ने सभी को व्यक्तिगत कल्याण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और एक स्वस्थ कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ लाया, जिससे स्वच्छता और संधारणियता के साथ–साथ स्वास्थ्य के महत्व को भी मजबूती मिली।

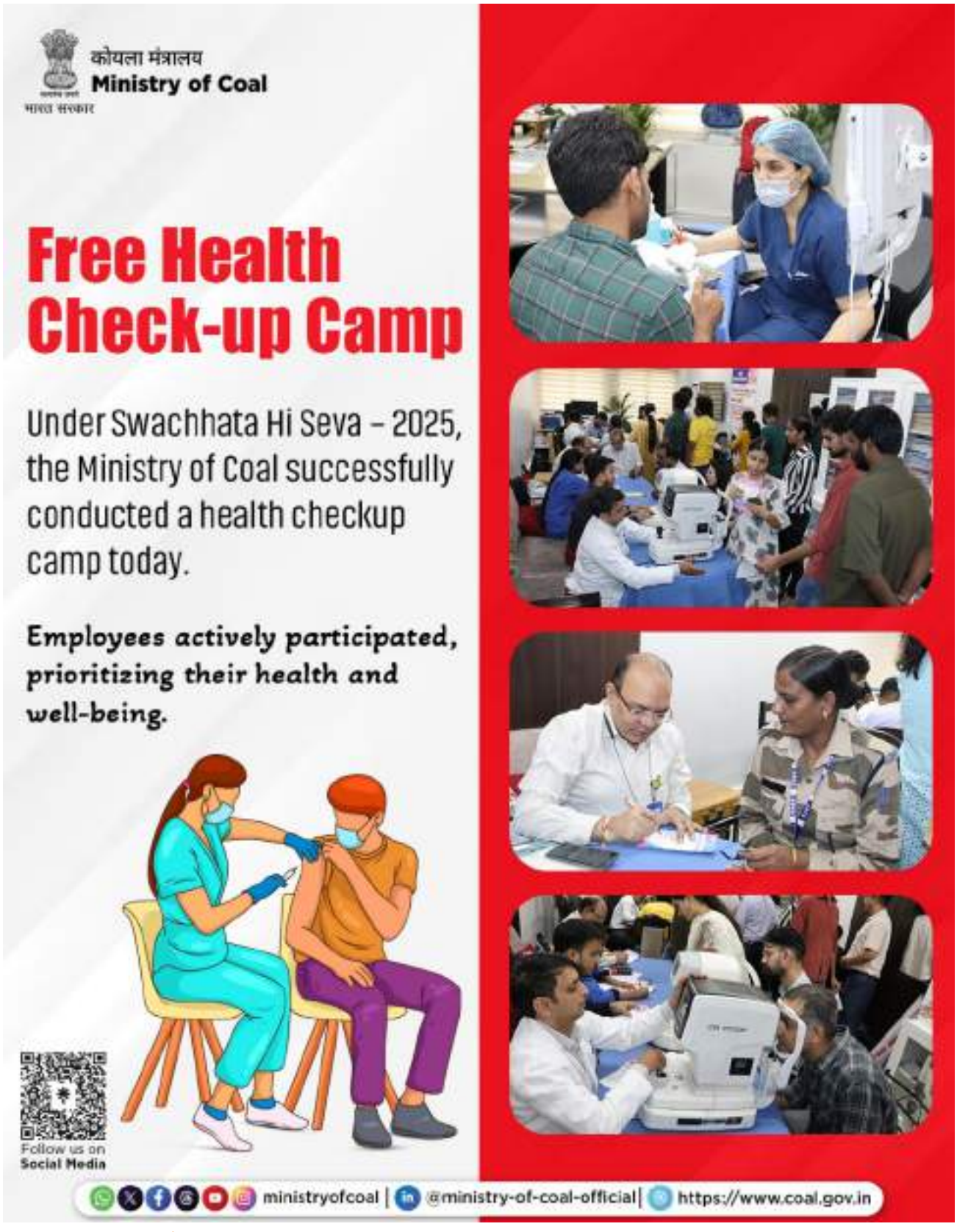

16. सफाई मित्र सम्मान और सुरक्षा शिविर–

कोयला मंत्रालय में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान आयोजित "सफाई मित्र सुरक्षा शिविर" का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों (सफाई मित्रों) की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम स्वच्छता गतिविधियों में शामिल स्वच्छता कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षा उपकरण प्रदान करने पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त, पहल ने उनके काम के महत्व पर प्रकाश डाला और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया। यह कार्यक्रम व्यापक स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का हिस्सा था, जो इन प्रयासों में योगदान देने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम के तहत कोयला मंत्रालय के उप सचिव श्री सुधीर बाबू मोटाना ने कोयला मंत्रालय के सफाई कर्मियों को उनके लिए सम्मानित किया।

17. कोयला खदान खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाकर उत्पादन में तेजी लाई जाएगी

कोलियरी कंट्रोल रूल्स में 2025 में किए गए संशोधन के माध्यम से, कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (सीसीओ) से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। खदान और सीवन खोलने का अनुमोदन अधिकार अब संबंधित कोयला कंपनी के बोर्ड को सौंप दिया गया है। इस सुधार से परिचालन शुरू होने में लगने वाले समय में दो महीने तक की कमी आने और कोयला उत्पादन में तेजी लाने की उम्मीद है।

नियामक सुरक्षा उपाय यथावत बने रहेंगे। केंद्रध्राज्य सरकारों और वैधानिक निकायों से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रहेगाय खदान खोलने से संबंधित विवरण अभी भी सीसीओ को प्रस्तुत करना होगा। और सीसीओ का अनुमोदन कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं पर भी लागू रहेगा। इस प्रकार, यह संशोधन निगरानी, जवाबदेही और नियामक संतुलन बनाए रखते हुए परिचालन संबंधी मंजूरी को तेजी से देने में सक्षम बनाता है।